

जी/ G

यदि लागू हो तो कृपया टिक करें . Please tick, if applicable राजनीति से जुड़े व्यक्ति (पीईपी) Politically Exposed Person (PEP) राजनीतिक व्यक्ति से संबंधित (पीईपी) Related to a Politically Exposed Person (PEP)

एच/ H

स्थायी अनुदेश / Standing Instructions

1. मैं / हम आपको मेरे / हमारे खाते में स्वतः क्रेडिट प्राप्तिके लिए प्राधिकृत करता/करती हूँ/ करते हैं/ I/We authorise you to receive credits automatically into my/our account. हाँ /Yes नहीं / No
2. मुद्दारनामा (पीओए) द्वारा खाता परिचालित किया जाएगा /Account to be operated through Power of Attorney (PoA) हाँ /Yes नहीं / No
3. डीमैट डेबिट और प्लेज इंस्ट्रक्शन (डिडिपीआय) द्वारा खाता परिचालित किया जाएगा /Account to be operated through Demat Debit and Pledge Instruction (DDPI) हाँ /Yes नहीं / No
4. एसएमएस अलर्ट्स सुविधा / SMS Alert facility: 1. स्वयं/पहला धारक / Sole/First Holder हाँ /Yes नहीं / No 2. दूसरा धारक / Second Holder हाँ /Yes नहीं / No 3. तीसरा धारक / Third Holder हाँ /Yes नहीं / No
5. खाता विवरण प्राप्त करने का मोड [किसी एक को टिक करें]/ Mode of receiving Statement of Account [Tick any one] भौतिक रूप में /Physical Form इलेक्ट्रॉनिक रूप में /Electronic Form [नोट 4 को पढ़ें और यह सुनिश्चित करें कि केवाईसी आवेदन फॉर्म में ईमेल-आईडी दिया गया है Read Note 4 and ensure that email ID is provided in KYC Application Form].
6. खाता विवरण प्राप्त करने का मोड [नोट 5 देखें]/ For Joint accounts, communication to be sent to [See Note 5] पहला धारक/First Holder सभी संयुक्त खाताधारक /All Joint Account Holders

आय/ I

अभिभावक का विवरण/ Guardian Details (जहां एकल धारक अवयस्क हो/where sole holder is a minor)

[अवयस्क के खाते के लिए, दो केवाईसी फॉर्म अवयस्क फाइल किए जाने चाहिए अर्थात् एक अभिभावक के लिए और दूसरा अवयस्क के लिए (अभिभावक द्वारा हस्ताक्षर किया जाए)/For account of a minor, two KYC Application Forms must be filled i.e. one for the guardian and another for the minor (to be signed by guardian)]

अभिभावक का नाम/Guardian Name: पैन/PAN अवयस्क से अभिभावक का संबंध/Relationship of guardian with minor

जे/ J

नामांकन का विकल्प/Nomination Option

मैं / हम नामांकन करना चाहता/ चाहती हूँ / चाहते हैं/ I/We wish to make a nomination. मैं नामांकन नहीं करना चाहता/ चाहती हूँ / चाहते हैं/ I/We do not wish to make a nomination.

[निम्नलिखित विवरण के अनुसार/As per details given below] [निम्नलिखित नामांकन विवरण को काट दें/Strike off the nomination details below]

नामांकन विवरण/Nomination Details

मैं / हम नामांकन करना चाहता/ चाहती हूँ / चाहते हैं तथा एतद्वारा निम्नलिखित व्यक्ति को नामांकित करता/ करती हूँ करते हैं जिसको मेरे / हमारी मृत्यु के पश्चात सभी अधिकार और या मेरे हमारे द्वारा उक्त लाभार्थी स्वामी खाते के लिए डिपॉजिटरी के पास धारित प्रतिभूतियों के भुगतान से संबंधित राशि प्राप्त करने का अधिकार होगा/ I/We wish to make a nomination and do hereby nominate the following person in whom all rights and / or amount payable in respect of securities held in the Depository by me / us in the said beneficiary owner account shall vest in the event of my / our death.

- 1) नामिती का नाम /Name of the Nominee (Mr./Ms.)
- 2) आवेदक के साथ संबंध /Relationship with the Applicant(यदि कोई हो /if any)
- 3) नामिती का पता /Address of Nominee
- शहर/City/कस्बा/town/ग्राम/village पिन कोड/PIN Code:
- राज्य/ State देश/ Country
- 4) नामिती का संपर्क विवरण/ Contact details of nominee:
- टेली.(का.)/Tel.(Off.) टेली (घर)/ Tel.(Res.)
- फैक्स नं./Fax No. मोबाइल नं./Mobile No.
- ईमेल आईडी/Email ID

5) नामिती के पहचान का विवरण/Nominee Identification details/(क) से (च) तक में से किसी एक को टिक करें और उसका विवरण दें/please tick any one from (a) to (f) and provide details of the same)

नामिती का फोटो/ Photograph of nominee (फोटो पर नामिती के आरपार हस्ताक्षर/ Signature of nominee across photograph)

नामिती के हस्ताक्षर/ Signature of nominee

a) (I) फोटोग्राफ/ Photograph

(II) हस्ताक्षर/Signature

b) नामिती का पैन/PAN of nominee: c) नामिती का आधार नं./Aadhaar number of nominee: d) नामिती का बचत खाता संख्या, यदि उसी सहभागी के पास हो तो/ Savings bank account number of nominee,if maintained with the same Participant

e) किसी पहचान प्रमाण दस्तावेज की कोई प्रति/Copy of any proof of identity document

(सत्यापन के लिए मूल प्रति भी साथ में होनी चाहिए या दस्तावेज सत्यापन के लिए अधिकृत इकाई से सत्यापित होना चाहिए, जैसा की अनुबंध जेबी में दिया गया है/ Accompanied by original for verification or duly attested by any entity authorized for attesting the documents, as provided in Annexure (B))

f) नामिती के डीमैट खाते का विवरण/Demat account details of nominee

डीपी आईडी/DP ID ग्राहक आईडी/Client ID

यदि नामिती अवयस्क हो तो क्रम सं. 6-11 तक भरे Sr. Nos. 6-11 should be filled only if nominee is a minor:

- 6) जन्मतिथि (अवयस्क के मामले में)/Date of Birth (in case of minor nominee)
- 7) अभिभावक का नाम(श्री/श्रीमती)/Name of Guardian (Mr/Ms):
- (नामिती के अवयस्क होने के मामले में /in case of minor nominee)
- 8) अभिभावक का पता/Address of Guardian:
- शहर/City/कस्बा/town/ग्राम/village पिन कोड/PIN Code:
- राज्य/ State देश/ Country
- 9) अभिभावक का संपर्क विवरण/Contact Details of Guardian:
- टेली.(का.)/Tel.(Off.) टेली (घर)/ Tel.(Res.)
- फैक्स नं./Fax No. मोबाइल नं./Mobile No.
- ईमेल आईडी/Email ID
- 10) नामिती के साथ अभिभावक का संबंध/Relationship of Guardian with nominee:

11) अभिभावक की पहचान का विवरण (कृपया (क) से (घ) तक में से किसी एक को टिक करें और उसका विवरण दें)/Guardian Identification details (please tick any one from (a) to (f) and provide details of the same)

अभिभावक का फोटो/ Photograph of Guardian (फोटो पर नामिती के आरपर हस्ताक्षर/ Signature of nominee across photograph)	अभिभावक के हस्ताक्षर/ Signature of Guardian	b) अभिभावक का पैन/PAN of Guardian: <input type="text"/>
		c) अभिभावक का आधार नं./ Aadhaar number of Guardian: <input type="text"/>
a) (I) फोटोग्राफ/ Photograph <input type="checkbox"/> (II) हस्ताक्षर/Signature <input type="checkbox"/>		d) अभिभावक का बचत खाता संख्या, यदि उसी सहभागी के पास हो तो/ Savings bank account number of Guardian, if maintained with the same Participant <input type="text"/>
f) अभिभावक के डीमैट खाते का विवरण/Demat account details of Guardian		e) किसी पहचान प्रमाण दस्तावेज़ की कोई प्रति/Copy of any proof of identity document (सत्यापन के लिए मूल प्रति भी साथ में होनी चाहिए या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए अधिकृत इकाई से सत्यापित होना चाहिए, जैसा की अनुबंध जेबी में दिया गया है/Accompanied by original for verification or duly attested by any entity authorized for attesting the documents, as provided in Annexure JB)
		डीपी आईडी/DP ID <input type="text"/>
		ग्राहक आईडी/Client ID <input type="text"/>

एच/H संयुक्त खातों के लिए परिचालन का तरीका/Mode of Operations for Joint Accounts संयुक्त रूप से /Jointly धारक में से कोई भी या उत्तरजीवी/Anyone of the holder or survivor(s)
यूसीसी/UCC if Any:

घोषणा /Declaration

खाते से संबंधित डिपॉजिटरी और डिपॉजिटरी सहभागियों से संबंधित नियमों और विनियमों को हमने पढ़ लिया है और समझ लिया है तथा इस खाते से संबंधित समय-समय पर लागू नियमों के अधीन हैं और इनके पालन की सहमति देते हैं। हम एलएचए वरहा घोषणा करते हैं कि उपरोक्त विवरण हमारी जानकारी एवं विश्वास में पूरी तरह से सत्य एवं सही है तथा हम इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना देने का वचन देते हैं। यदि उपरोक्त जानकारी गलत या असत्य या गमराहकरने वाली या गलत बयानी पाई जाती है तो हमें यह मालूम है कि इसके लिए हम उत्तरदायी ठहराए जाएंगे। मैं/ हम दस्तावेज़ "लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी सहभागी के अधिकार और उत्तरदायित्व" की प्रति की पावती देता/ देती हूँ/देते हैं।

The rules and regulations of the Depository and Depository Participants pertaining to an account which are in force now have been read by us and we have understood the same and we agree to abide by and to be bound by the rules as are in force from time to time for such accounts. We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of our knowledge and belief and we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, we are aware that we may be held liable for it. I/we acknowledge the receipt of copy of the document, "Rights and Obligations of the Beneficial Owner and Depository Participant".

प्राधिकृत हस्ताक्षरी /Authorised Signatories (प्राधिकृत हस्ताक्षरियों के लिए बोर्ड संकल्प को संलग्न करें) /Enclose a Board Resolution for Authorised Signatories

धारक(को) का नाम/Name(s) of holder(s)	हस्ताक्षर /Signature(s)
स्वयं/ पहला धारक/अभिभावक/ Sole/First Holder/Guardian (स्वयं/ पहला धारक के अवयक्त होने के मामले में/In case sole holder is minor)	<input type="text"/>
दूसरा धारक /Second Holder	<input type="text"/>
तीसरा धारक /Third Holder	<input type="text"/>

डेबिट प्राधिकार/ Debit Authorisation

मैं/हम आपको इस डीमैट खाते के प्रभार हेतु मेरे/ हमारे चालू/ बचत खाता संख्या से डेबिट करने का प्राधिकार देता/ देती हूँ/ देते हैं
/We authorize you to debit my/our current/savings A/c number for this demat account. से डेबिट करने का प्राधिकार देता/ देती हूँ/ देते हैं

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
खाता प्रभारी/पहले धारक के हस्ताक्षर Signature of 1st holder in charge A/C	दूसरे धारक के हस्ताक्षर Signature of 2nd holder	तीसरे धारक के हस्ताक्षर Signature of 3rd holder

नोट /Notes

- सभी पलाचार केवल स्वयं/ पहले धारक के पते पर भेजे जाएंगे/All communication shall be sent at the address of the Sole/First holder only.
- अंगूठे का निशान और अंग्रेजी या हिंदी या भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को छोड़कर अन्य किसी भाषा में किए गए हस्ताक्षर मजिस्ट्रेट या सरकारी नोटरी या विशेष कार्यपालक मजिस्ट्रेट से अनुप्रमाणित होने चाहिए / Thumb impressions and signatures other than English or Hindi or any of the other language not contained in the 8th Schedule of the Constitution of India must be attested by a Magistrate or a Notary Public or a Special Executive Magistrate.
- नामांकन से संबंधित अनुदेश निम्नलिखित हैं/ Instructions related to nomination, are as below:
 - नामांकन केवल उन्हीं व्यक्तियों का किया जा सकता है जो स्वयं अपनी ओर से एकल खाते या संयुक्त खाते के लाभार्थी स्वामी हों। सोसाइटी, न्यास कॉरपोरेट निकाय भागीदारी फ़र्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता या मुल्तारनामा धारक सहित गैर- वैयक्तिक नामांकन नहीं कर सकते हैं। यदि खाता संयुक्त रूप से धारित है तो नामांकन फॉर्म पर सभी संयुक्त खाताधारकों के हस्ताक्षर होंगे।/ The nomination can be made only by individuals holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly. Non- individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot nominate. If the account is held jointly all joint holders will sign the nomination form.
 - अवयक्त को भी नामित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में लाभार्थी स्वामी द्वारा अवयक्त के अभिभावक का नाम और पता उपलब्ध कराया जाएगा। / A minor can be nominated. In that event, the name and address of the Guardian of the minor nominee shall be provided by the beneficial owner.
 - न्यास, सोसायटी, कॉरपोरेट निकाय भागीदारी फ़र्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता या मुल्तारनामा धारक नामिती नहीं हो सकते हैं। समय-समय पर लागू विनियम नियंत्रण के अधीन अनिवासी भारतीय भी नामिती हो सकते हैं।/The Nominee shall not be a trust, society, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family or a power of Attorney holder. A non-resident Indian can be a Nominee, subject to the exchange controls in force, from time to time.
 - लाभार्थी स्वामी का खाता बंद होने पर लाभार्थी स्वामी से संबंधित नामांकन को भी रद्द माना जाएगा। इसी तरह प्रतिभूति के अंतरण होने पर प्रतिभूति से संबंधित नामांकन को भी रद्द माना जाएगा / Nomination in respect of the beneficiary owner account stands rescinded upon closure of the beneficiary owner account. Similarly, the nomination in respect of the securities shall stand terminated upon transfer of the securities.
 - डिपॉजिटरी और भागीदार द्वारा कानूनी वारिस के नामिती के पक्ष में प्रतिभूतियों का अंतरण वैध रूप से किया जाएगा /Transfer of securities in favour of a Nominee shall be valid discharge by the depository and the Participant against the legal heir.
 - नामांकन को केवल उसी लाभार्थी स्वामी द्वारा रद्द किया जाएगा जिसने स्वयं अपनी ओर से एकल खाते या संयुक्त खाते के लाभार्थी स्वामी के रूप में मूल नामांकन किया था। सोसाइटी, न्यास कॉरपोरेट निकाय भागीदारी फ़र्म, हिंदू अविभाजित परिवार के कर्ता या मुल्तारनामा धारक सहित गैर- वैयक्तिक नामांकन रद्द नहीं कर सकते हैं। यदि खाता संयुक्त रूप से धारित है तो नामांकन फॉर्म को रद्द करने हेतु सभी संयुक्त खाता धारकों के हस्ताक्षर होंगे / The cancellation of nomination can be made by individuals only holding beneficiary owner accounts on their own behalf singly or jointly by the same persons who made the original nomination. Non- individuals including society, trust, body corporate, partnership firm, karta of Hindu Undivided Family, holder of power of attorney cannot cancel the nomination. If the beneficiary owner account is held jointly, all joint holders will sign the cancellation form.
 - नामांकन के रद्द होने पर, नामांकन को रद्द माना जाएगा तथा नामिती के पक्ष में प्रतिभूतियों के अंतरण के लिए डिपॉजिटरी बाध्यकारी नहीं होगा /On cancellation of the nomination, the nomination shall stand rescinded and the depository shall not be under any obligation to transfer the securities in favour of the Nominee.
- इलेक्ट्रॉनिक रूप में खाता विवरण प्राप्त करने के लिए/For receiving Statement of Account in electronic form:
 - ग्राहक को ईमेल एकाउंट के पासवर्ड की गोपनीयता अवश्य सुनिश्चित करनी चाहिए /Client must ensure the confidentiality of the password of the email account.
 - ईमेल पता में परिवर्तन होने पर ग्राहक को सहभागी को तुरंत सूचना देनी चाहिए /Client must promptly inform the Participant if the email address has changed.
- ग्राहक 10 दिन की पूर्व सूचना देकर इस सुविधा को बंद कर सकता है। इसी तरह सहभागी भी 10 दिन की पूर्व सूचना देकर इस सुविधा को बंद कर सकता है। /Client may opt to terminate this facility by giving 10 days prior notice. Similarly, Participant may also terminate this facility by giving 10 days prior notice.
- जो लागू न हो उसे काट दें /Strike off whichever is not applicable.

डीमैट सेवाएं और प्रभारों की अनुसूची/ Demat Services and Charges Schedule

सेवाएं /Services	नियमित/ Regular	वरिष्ठ नागरिक/ Senior Citizen	प्रेफरर्ड ग्राहक / Preferred Clients	आरएसडब्ल्यूओएम RSWOM	अधिकतम/ Maximum (जहां लागू हो where applicable)	न्यूनतम / Minimum (जहां लागू हो where applicable)
खाता जिस श्रेणी के अंतर्गत खोला जाएगा उस पर टिक लगाए Tick (4) against the category under which the A/c will be opened	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		
खाता खोलना (आईडीबीआई बचत एवं चालू खाता धारकों के लिए) / Account Opening (for IDBI saving & current account holders)	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
खाता खोलना (नॉन आईडीबीआई बचत एवं चालू खाता धारकों के लिए) / Account Opening (for Non IDBI saving & current account holders)	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
आईडीबीआई बचत/ चालू खाता धारकों के लिए खाता परिचालन प्रभार / Account Maintenance for IDBI S/b / Current A/c Holders	₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. (₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. ईमेल द्वारा मासिक विवरण लेनदेन खाता धारकों के लिथे/for customers receiving statements by e-mail) ₹/Rs.350/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. (₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. ईमेल द्वारा मासिक विवरण लेनदेन खाता धारकों के लिथे/for customers receiving statements by e-mail) ₹/Rs.350/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. (₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. ईमेल द्वारा मासिक विवरण लेनदेन खाता धारकों के लिथे/for customers receiving statements by e-mail) ₹/Rs.350/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. (₹/Rs.450/- प्र.व./p.a. ईमेल द्वारा मासिक विवरण लेनदेन खाता धारकों के लिथे/for customers receiving statements by e-mail) ₹/Rs.350/- प्र.व./p.a.		
नॉन-आईडीबीआई बचत/ चालू खाता धारकों के लिए खाता परिचालन प्रभार / Account Maintenance for Non-IDBI S/b / Current A/c Holders	₹/Rs.2500/- प्र.व./p.a.#	₹/Rs.2500/- प्र.व./p.a.#	लागू नहीं/NA	लागू नहीं/NA		
विवरण /Statements						
ढाक द्वारा तिमाही विवरण /Quarterly statement by post	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
ढाक द्वारा मासिक विवरण /Monthly statement by post (यदि इस अवधि के दौरान लेन-देन हों तो) only if transactions take place during the period)	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
ईमेल द्वारा मासिक विवरण /Monthly statement by email	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
अनुरोध पर, विवरण आईवीआर पर On request statement on IVR	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
आईवीआर पर दर्ज अनुरोध के लिए ईमेल द्वारा विवरण / On request statement by email for requests logged over IVR	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
शाखा में अनुरोध पर विवरण /On request statement at the branch	₹/Rs.25/- प्रत्येक/each	₹/Rs.25/- प्रत्येक/each	₹/Rs.25/- प्रत्येक/each	₹/Rs.25/- प्रत्येक/each		
अनुरोध पर ढाक द्वारा विवरण /On request statement by post (भारत से बाहर के पते पर address outside India)	₹/Rs.900/- प्रत्येक/each	₹/Rs.900/- प्रत्येक/each	₹/Rs.900/- प्रत्येक/each	₹/Rs.900/- प्रत्येक/each		
वैकल्पिक मासिक होल्डिंग विवरण/ Optional monthly Holding Statement (खाता खोलने वाले महीने में अग्रिम भुगतान और उसके बाद वार्षिक आधार पर प्रत्येक वर्ष/ Payable in advance in the month of account opening and on anniversary basis every year thereafter)	₹/Rs.200/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.200/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.200/- प्र.व./p.a.	₹/Rs.200/- प्र.व./p.a.		
लेन-देन / Transactions						
इक्विटी लिखतों को डीमैट करना Dematerialisation of Equity Instruments	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹/Rs.40/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	
ऋण लिखतों को डीमैट करना Dematerialisation of Debt Instruments	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹.5/- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	₹/Rs./- प्रति प्रमाणपत्र और ढाक सर्च/ per certi cate, plus postage	
प्रतिभूतियों का पुनर्मात्रिकरण Rematerialisation of Securities	प्रत्येक सौ प्रतिभूतियों के लिए ₹.20 या उसके बाद उसके भाग में या प्रति प्रमाणपत्र 20 ₹. का सीधा शुल्क जो भी अधिक हो Rs. 20 for every hundred securities or part thereof or Flat fee of Rs. 20 per certi cate, whichever is higher	प्रत्येक सौ प्रतिभूतियों के लिए ₹.20 या उसके बाद उसके भाग में या प्रति प्रमाणपत्र 20 ₹. का सीधा शुल्क जो भी अधिक हो Rs. 20 for every hundred securities or part thereof or Flat fee of Rs. 20 per certi cate, whichever is higher	प्रत्येक सौ प्रतिभूतियों के लिए ₹.20 या उसके बाद उसके भाग में या प्रति प्रमाणपत्र 20 ₹. का सीधा शुल्क जो भी अधिक हो Rs. 20 for every hundred securities or part thereof or Flat fee of Rs. 20 per certi cate, whichever is higher	प्रत्येक सौ प्रतिभूतियों के लिए ₹.20 या उसके बाद उसके भाग में या प्रति प्रमाणपत्र 20 ₹. का सीधा शुल्क जो भी अधिक हो Rs. 20 for every hundred securities or part thereof or Flat fee of Rs. 20 per certi cate, whichever is higher		
मार्केट इक्विटी खरीद लेन-देन / Market Equity Buy Transactions	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
मार्केट ऋण खरीद लेन-देन /Market Debt Buy Transactions	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
मार्केट इक्विटी विक्रय लेन-देन /Market Equity Sell Transactions	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.01% बाजार मूल्य का* 0.01% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	₹/Rs.30/- प्रति क्रिय/ per scrip	
मार्केट ऋण विक्रय लेन-देन /Market Debt Sell Transactions	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.01% बाजार मूल्य का* 0.01% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	₹/Rs.30/- प्रति क्रिय/ per scrip	
ऑफ मार्केट इक्विटी खरीद लेन-देन /Off Market Equity Buy Transaction	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
ऑफ मार्केट ऋण खरीद लेन-देन /Off Market Debt Buy Transaction	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
ऑफ मार्केट इक्विटी विक्रय लेन-देन /Off Market Equity Sell Transaction	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.01% बाजार मूल्य का* 0.01% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	₹/Rs.30/- प्रति क्रिय/ per scrip	
ऑफ मार्केट ऋण विक्रय लेन-देन /Off Market Debt Sell Transaction	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.01% बाजार मूल्य का* 0.01% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	₹/Rs.30/- प्रति क्रिय/ per scrip	
विलंब अनुदेश शुल्क, प्रारंभिक भुगतान**/Late instruction Fee, payable upfront**	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	₹/Rs.50/- प्रति क्रिय/ per scrip	₹/Rs.500/- प्रति क्रिय/ per scrip
इंट-डिपॉजिटरी अंतरण (क्रय) /Inter-Depository Transfer (Buy)	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free	नि:शुल्क/Free		
इंट-डिपॉजिटरी अंतरण (विक्रय) /Inter-Depository Transfer (Sell)	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.01% बाजार मूल्य का* 0.01% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	0.04% बाजार मूल्य का* 0.04% of market value*	₹/Rs.30/- प्रति क्रिय/ per scrip	
फ्रीज़ /Freeze	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction		
डी-फ्रीज़ /De-Freeze	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction	₹.100/- प्रति अनुदेश Rs.100/- per instruction		
गिरवी***/Pledge***						
गिरवी सृजन करना *** /Pledge Creation***	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	₹/Rs.25/- प्रति लेनदेन/ per transaction	
गिरवी समापन करना *** Pledge Closure***	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	0.025% बाजार मूल्य का* 0.025% of market value*	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	0.05% बाजार मूल्य का* 0.05% of market value*	₹/Rs.25/- प्रति लेनदेन/ per transaction	
गिरवी लागू करना Pledge Invocation	0.15% बाजार मूल्य का* 0.15% of market value*	0.10% बाजार मूल्य का* 0.10% of market value*	0.15% बाजार मूल्य का* 0.15% of market value*	0.15% बाजार मूल्य का* 0.15% of market value*	₹/Rs.25/- प्रति लेनदेन/ per transaction	

खाता प्रभारीपहले धारक के हस्ताक्षर
Signature of 1st holder in charge A/c

दूसरे धारक के हस्ताक्षर
Signature of 2nd holder

तीसरे धारक के हस्ताक्षर
Signature of 3rd holder

नोट /Note:

सेवा कर यथा लागू (कर प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी परिवर्तनों के अधीन)/Service Tax as applicable subject to change, as prescribed by Tax Authorities from time to time).

आईडीबीआई बैंक बचत/ चालू खाता धारकों को सेवा प्रभारों की वसूली के लिए स्थायी अनुदेश अवश्य प्रदान किए जाने चाहिए./# IDBI Bank SB/Current A/c holders must provide Standing Instructions for recovery of the service charges.

** प्रभारों की गणना के लिए, लेन-देन/ धारिता का बाजार मूल्य एनएफडीएल की ग्रीड्स फ़ॉल्लो के अनुसार होगा./** For calculation of charges, market value of transaction/holding will be as per NSDL procey le.

*** अंतरण के लिए सभी अनुदेश बैंक की संबंधित शाखाओं में निष्पादन से एक दिन पहले 4 बजे अग्रहान से पहले अवश्य प्राप्त किए जाएं. उपरोक्त समयसीमा के बाद प्राप्त अनुदेशों को केवल ग्राहक के अपने जोखिम के आधार पर ही प्राप्त किया जाएगा./** All instructions for transfer must be received at respective branches of the Bank, one day before the date of execution not later than 4 pm of the previous day. Instructions received after the above deadline will be accepted only at client's risk.

*** सेवा प्रभारों के लिए मासिक आधार पर बिल जारी किया जाएगा. उपरोक्त उद्धृत सेवाओं के लिए है. उक्त सूची में यदि कोई सेवा नहीं शामिल है तो उसके लिए बैंक की नीति अनुसार अलग से प्रभार लिया जाएगा./*** Bills for service charges will be raised monthly. Charges quoted above are for the services listed. Any services not listed above will be charged separately as per Bank's policy.

सेबी और डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित के अनुसार लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी सहभागी के अधिकार एवं सीमाएं

Rights and Obligations of Beneficial Owner and Depository Participant as prescribed by SEBI and Depositories

सामान्य खंड/ General Clause

1. लाभार्थी स्वामी और डिपॉजिटरी सहभागी (डीपी) डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरीज और सहभागी) विनियम, 1996, भारतीय प्रतिभूति एवं विनियम बोर्ड (सेबी) के नियमों और विनियमों, उनके अधीन जारी किए गए परिपत्रों/ अधिसूचनाओं/ दिशानिर्देशों, डिपॉजिटरीज के द्वारा जारी उप-विधियों और कारोबार नियम/परिचालन अनुदेश और सरकारी प्राधिकरणों की प्रासंगिक अधिसूचनाओं से आबद्ध होंगे जैसा कि समय-समय पर लागू होगा।

The Beneficial Owner and the Depository participant (DP) shall be bound by the provisions of the Depositories Act, 1996, SEBI (Depositories and Participants) Regulations, 1996, Rules and Regulations of Securities and Exchange Board of India (SEBI), Circulars/Notifications/Guidelines issued there under, Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions issued by the Depositories and relevant notifications of Government Authorities as may be in force from time to time.

2. समय-समय पर सेबी द्वारा निर्धारित के अनुसार भरे हुए खाता खोलने के फॉर्म, केवाईसी और सहायक दस्तावेज की प्राप्ति के बाद ही डीपी किसी लाभार्थी स्वामी (यों) के डीमैट खाते डिपॉजिटरी प्रणाली में खोलेंगे/सक्रिय करेंगे।

The DP shall open/activate demat account of a beneficial owner in the depository system only after receipt of complete Account opening form, KYC and supporting documents as specified by SEBI from time to time.

लाभार्थी स्वामी की जानकारी / Beneficial Owner information

3. डीपी लाभार्थी स्वामी (यों) के सभी विवरण, जैसे कि खाता खोलने के फॉर्म में उल्लिखित, उनके द्वारा प्रस्तुत किए गए सहायक दस्तावेजों और/या लाभार्थी स्वामी की गोपनीयता से संबंधित जानकारी अपने पास रखेगा और उसका प्रकटन किसी व्यक्ति को नहीं करेगा बशर्ते इस संबंध में किसी सांविधिक, विधिक या विनियामक प्राधिकारी द्वारा अपेक्षित न हो।

The DP shall maintain all the details of the beneficial owner(s) as mentioned in the account opening form, supporting documents submitted by them and/or any other information pertaining to the beneficial owner confidentially and shall not disclose the same to any person except as required by any statutory, legal or regulatory authority in this regard.

4. डीमैट खाते खोलने के दौरान या समय-समय पर डीपी को प्रस्तुत किए गए खाता खोलने के फॉर्म में दिए गए विवरण में कोई परिवर्तन होने पर लाभार्थी स्वामी

तत्काल डीपी को लिखित में अधिसूचित करें।

The Beneficial Owner shall immediately notify the DP in writing, if there is any change in details provided in the account opening form as submitted to the DP at the time of opening the demat account or furnished to the DP from time to time.

शुल्क/प्रभार/टैरिफ / Fees/Charges/Tariff

5. लाभार्थी स्वामी प्रतिभूतियों के धारण और अंतरण डीमैटरेयलाइज्ड रूप में करने और डिपॉजिटरी सेवाएं प्राप्त करने के उद्देश्य से डीपी द्वारा उपलब्ध कराई गई टैरिफ शीट में निर्धारित के अनुसार डीपी तथा लाभार्थी स्वामी के बीच समय-समय पर किए गए करार के अंतर्गत लाभार्थी स्वामी ऐसे सभी प्रभारों का भुगतान डीपी को करेंगे। लाभार्थी स्वामी को यह सूचित किया जाता है कि "डीमैट खाते खोलने के लिए कोई प्रभार देय नहीं है"

The Beneficial Owner shall pay such charges to the DP for the purpose of holding and transfer of securities in dematerialized form and for availing depository services as may be agreed to from time to time between the DP and the Beneficial Owner as set out in the Tariff Sheet provided by the DP. It may be informed to the Beneficial Owner that "no charges are payable for opening of demat accounts"

6. बेसिक सर्विस डीमैट खातों के मामले में डीपी सेबी और/या डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी किए गए प्रासंगिक परिपत्रों/ दिशानिर्देशों/ अधिसूचनाओं के अधीन निर्धारित प्रभार संरचना का अनुपालन करेंगे।

In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall adhere to the charge structure as laid down under the relevant SEBI and/or Depository circulars/directions/notifications issued from time to time.

7. डीपी निर्धारित किए गए प्रभारों/टैरिफ में कोई वृद्धि नहीं करेंगे जब तक इस संबंध में लाभार्थी स्वामी को कम से कम 30 दिन पहले लिखित में एक नोटिस न दिया गया हो।

The DP shall not increase any charges/tariff agreed upon unless it has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner regarding the same.

डीमैटरेयलाइजेशन / Dematerialization

8. लाभार्थी स्वामी को उन प्रतिभूतियों को प्राप्त करने का अधिकार होगा जो डिपॉजिटरीज द्वारा निर्धारित उप-विधि/परिचालन अनुदेश/कारोबार नियमों के अंतर्गत

निर्धारित हों, डिपॉजिटरीज पर मान्य हों, स्वरूप एवं प्रणाली में डीमैटरेयलाइज्ड हों।

The Beneficial Owner shall have the right to get the securities, which have been admitted on the Depositories, dematerialized in the form and manner laid down under the Bye Laws, Business Rules and Operating Instructions of the depositories.

अलग खाते / Separate Accounts

9. डीपी प्रत्येक लाभार्थी स्वामी के नाम में अलग खाते खोलेंगे और प्रत्येक लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों को अलग किया जाएगा तथा अन्य लाभार्थी स्वामी की प्रतिभूतियों और/या डीमैटरेयलाइज्ड रूप में डीपी की अपनी प्रतिभूतियों के साथ मिश्रित नहीं किया जाएगा।

The DP shall open separate accounts in the name of each of the beneficial owners and securities of each beneficial owner shall be segregated and shall not be mixed up with the securities of other beneficial owners and/or DP's own securities held in dematerialized form.

10. डीपी लाभार्थी स्वामी को ऐसी प्रतिभूतियों के सम्पूर्ण रूप से या एकल रूप में सृजन या गिरवी और/या हटिबन्धक या अन्य कोई हित या ऋण-भार की अनुमति प्रदान नहीं करेगा जो डिपॉजिटरीज अधिनियम, 1996, सेबी (डिपॉजिटरीज और सहभागी) विनियम, 1996 और डिपॉजिटरीज के उप-विधि/परिचालन

The DP shall not facilitate the Beneficial Owner to create or permit any pledge and/or hypothecation or any other interest or encumbrance over all or any of such securities submitted for dematerialization and/or held in demat account except in the form and manner prescribed in the Depositories Act, 1996, SEBI (अनुदेश/कारोबार नियमों के अनुसार निर्धारित स्वरूप एवं प्रणाली के अतिरिक्त डीमैटरेयलाइजेशन के लिए प्रस्तुत और/या डीमैट खाते में धारित हैं।)

(Depositories and Participants) Regulations, 1996 and Bye-Laws/Operating Instructions/Business Rules of the Depositories.)

प्रतिभूतियों का अंतरण / Transfer of Securities

11. लाभार्थी स्वामी द्वारा यथाविधि प्राधिकृत किसी आदेश, अनुदेश, निर्देश या अधिदेश के आधार पर ही डीपी लाभार्थी स्वामी के डीमैट खातों में और द्वारा अंतरण को संपन्न करेंगे।

The DP shall effect transfer to and from the demat accounts of the Beneficial Owner only on the basis of an order, instruction, direction or mandate duly authorized by the Beneficial Owner and the DP shall maintain the original documents and the audit trail of such authorizations.

12. लाभार्थी स्वामी के पास अपने डीमैट खाते में प्रतिभूतियों को जमा करने के संबंध में स्थायी अनुदेश देने का अधिकार सुरक्षित है और डीपी ऐसे अनुदेशों के अनुसार कार्यवाई करेंगे।

The Beneficial Owner reserves the right to give standing instructions with regard to the crediting of securities in his demat account and the DP shall act according to such instructions.

खाता विवरण / Statement of account

13. लाभार्थी स्वामी के साथ तय किए गए स्वरूप एवं प्रणाली तथा समय के अनुसार और इस संबंध में सेबी/डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित के अनुसार लाभार्थी स्वामी को खातों के विवरण उपलब्ध कराएंगे।

The DP shall provide statements of accounts to the beneficial owner in such form and manner and at such time as agreed with the Beneficial Owner and as specified by SEBI/depository in this regard.

14. तथापि यदि डीमैट खाते में कोई लेनदेन नहीं हुआ है, या यदि वर्ष के दौरान शेष राशि शून्य हो गई तो डीपी को वार्षिक धारिता की कागजी विवरणी ऐसे बीओ को भेजनी चाहिए और जब भी खाते में कोई लेनदेन होते हैं, तब लेनदेन के विवरण भेजे जाएंगे।

However, if there is no transaction in the demat account, or if the balance has become Nil during the year, the DP shall send one physical statement of holding annually to such BOs and shall resume sending the transaction statement as and when there is a transaction in the account.

15. डीपी इलेक्ट्रॉनिक रूप में डीमैट खातों के विवरण जारी करने की सेवाएं प्रदान कर सकते हैं बशर्ते लाभार्थी स्वामी इसके लिए इच्छुक हों। डीपी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के अधीन नियमों से शासित के अनुसार अपने डिजिटल हस्ताक्षर सहित डीमैट खातों के विवरण लाभार्थी स्वामी को प्रस्तुत करेंगे। तथापि यदि डीपी के पास डीमैट खाते का विवरण इलेक्ट्रॉनिक मोड में प्रस्तुत करने की सुविधा नहीं है तब सहभागी डीमैट खातों के विवरण को कागजी रूप में अर्पित करेंगे।

The DP may provide the services of issuing the statement of demat accounts in an electronic mode if the Beneficial Owner so desires. The DP will furnish to the Beneficial Owner the statement of demat accounts under its digital signature, as governed under the Information Technology Act, 2000. However if the DP does not have the facility of providing the statement of demat account in the electronic mode, then the Participant shall be obliged to forward the statement of demat accounts in physical form.

16. बेसिक सर्विस डीमैट खातों के मामले में डीपी सेबी और/या डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर जारी अधिदेश के अनुसार लेनदेनों के विवरण भेजेंगे।

In case of Basic Services Demat Accounts, the DP shall send the transaction statements as mandated by SEBI and/or Depository from time to time.

घोषणापत्र/ Acknowledgement

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, एनेक्स बिल्डिंग, डीपी सेल, तीसरी मंज़िल, प्लॉट नं. 39/40/41, सेक्टर 11, सीबीडी बेलारपुर, नवी मुंबई - 400 614 महाराष्ट्र / IDBI Bank Limited, Annex Building, DP CELL, 3rd Floor, Plot no. 39/40/41, Sector 11, CBD-Belapur, Navi Mumbai- 400614 Maharashtra. डीपी आईडी / DP ID - /आईएन/ IN300450

श्री/ सुश्री [] से स्वयं/पहले धारक होने के नाते और श्री/सुश्री []

[] व श्री/ सुश्री [] से क्रमशः दूसरे एवं तीसरे धारक होने के नाते

डिपॉजिटरी खाता खोलने का आवेदन फॉर्म प्राप्त किया. कृपया भविष्य के अपने सभी पत्राचारों में आपको आबंटित डीपी आईडी एवं ग्राहक आईडी (समाशोधन सदस्य के मामले में सीएम-डीपी-आईडी) का उल्लेख करें.

Received the application from Mr/Ms [] as the sole/ first holder alongwith [] and [] as

the second and third holders respectively for opening of a depository account. Please quote the DP ID & Client ID allotted to you (CM-BP-ID in case of Clearing Members) in all your future correspondence.

दिनांक /Date: [] सहभागी के स्टंप व हस्ताक्षर/Participant Stamp & Signature []

[]

डीमैट खाते को बंद करने की प्रक्रिया / Manner of Closure of Demat account

17. पी के पास लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते, कारण चाहे कोई भी हो, को बंद करने का अधिकार होगा, बशर्ते डीपी ने लाभार्थी स्वामी के साथ-साथ डिपॉजिटरी को 30 दिन से कम समय के अंदर लिखित सूचना दी हो। उसी प्रकार, लाभार्थी स्वामी को डीपी के पास धारित अपना डीमैट खाता बंद करने का अधिकार होगा बशर्ते उसके द्वारा डीपी को कोई भी बकाया प्रभार देय न हो। ऐसी स्थिति में लाभार्थी स्वामी यह विधुय रूप से उल्लेख करेंगे कि उनके डीमैट खाते की शेष राशि लाभार्थी स्वामी के किसी अन्य डीपी के पास धारित अन्य डीमैट खाते में अंतरित की गई है या धारित प्रतिभूति शेष को पुनः कागजी रूप में शुरू करना है।

The DP shall have the right to close the demat account of the Beneficial Owner, for any reasons whatsoever, provided the DP has given a notice in writing of not less than thirty days to the Beneficial Owner as well as to the Depository. Similarly, the Beneficial Owner shall have the right to close his/her demat account held with the DP provided no charges are payable by him/her to the DP. In such an event, the Beneficial Owner shall specify whether the balances in their demat account should be transferred to another demat account of the Beneficial Owner held with another DP or to rematerialize the security balances held.

18. लाभार्थी स्वामी के अनुरोध के आधार पर डीपी ऐसी प्रतिभूति शेषराशि के अंतरण या इन्हें कागजी रूप देने की प्रक्रिया डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार तीस दिनों के अंदर शुरू करेंगे। बशर्ते कि इसके अतिरिक्त डीमैट खाते को बंद करना लाभार्थी स्वामी या डीपी दोनों के अधिकारों, देयताओं और दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा और इन पक्षों को उनके सतोषजनक समापन तक जोड़े रखने हेतु जारी रहेगा।

Based on the instructions of the Beneficial Owner, the DP shall initiate the procedure for transferring such security balances or rematerialize such security balances within a period of thirty days as per procedure specified from time to time by the depository. Provided further, closure of demat account shall not affect the rights, liabilities and obligations of either the Beneficial Owner or the DP and shall continue to bind the parties to their satisfactory completion.

प्रभारों के भुगतान में चूक / Default in payment of charges

19. खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के मांग की तारीख से तीस दिनों की अवधि के भीतर भुगतान में लाभार्थी स्वामी द्वारा हुई चूक के मामले में, डीपी के अधिकार पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना लाभार्थी स्वामी के डीमैट खाते को बंद करने के लिए डीपी ऐसी चूक की अवधि के लिए डिपॉजिटरी द्वारा समय-समय पर निर्धारित ब्याज दर पर प्रभार लगा सकता है।

In event of Beneficial Owner committing a default in the payment of any amount provided in Clause 5 & 6 within a period of thirty days from the date of demand, without prejudice to the right of the DP to close the demat account of the Beneficial Owner, the DP may charge interest at a rate as specified by the Depository from time to time for the period of such default.

20. लाभार्थी स्वामी द्वारा उपर्युक्त खंड 5 एवं 6 में उल्लिखित किसी राशि के भुगतान में असफल रहने पर लाभार्थी स्वामी को दो दिन का नोटिस देने के बाद डीपी के पास लाभार्थी स्वामी के अनुरोधों की प्रोसेसिंग को उस समय तक रोकने का अधिकार होगा जब तक वह ब्याज सहित भुगतान, यदि कोई हो, न कर दें। In case the Beneficial Owner has failed to make the payment of any of the amounts as provided in Clause 5&6 specified above, the DP after giving two days notice to the Beneficial Owner shall have the right to stop processing of instructions of the Beneficial Owner till such time he makes the payment along with interest, if any.

डिपॉजिटरी की देयता / Liability of the Depository

21. डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996 की धारा 16 के अनुसार, /As per Section 16 of Depositories Act, 1996,

1. उस समय लागू किसी अन्य नियम के प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, डिपॉजिटरी या सहभागी की असावधानी के कारण लाभार्थी स्वामी को हुए किसी भी नुकसान की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी करेंगे।

Without prejudice to the provisions of any other law for the time being in force, any loss caused to the beneficial owner due to the negligence of the depository or the participant, the depository shall indemnify such beneficial owner.

2. यदि उपर्युक्त खंड (1) के अधीन सहभागी की असावधानी के कारण हुए इस नुकसान की क्षतिपूर्ति डिपॉजिटरी द्वारा की गई हो तो डिपॉजिटरी के पास ऐसे सहभागी से उक्त राशि को वसूल करने का अधिकार होगा।

Where the loss due to the negligence of the participant under Clause (1) above, is indemnified by the depository, the depository shall have the right to recover the same from such participant.

खातों की फ्रीजिंग/ डीफ्रीजिंग / Freezing/ Defreezing of accounts

22. उप विधियों और कारोबार नियमों/परिचालन अनुदेशों के अंतर्गत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार और अवरोधों के अधीन लाभार्थी स्वामी डीपी के पास संचालित अपने डीमैट खाते पर रोक लगाने/रोक हटाने के अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं।

The Beneficial Owner may exercise the right to freeze/defreeze his/her demat account maintained with the DP in accordance with the procedure and subject to the restrictions laid down under the Bye Laws and Business Rules/Operating Instructions.

23. डीपी या डिपॉजिटरी के पास किसी विनियामक या न्यायालय या अन्य सार्विक प्राधिकरण से अनुरोधों के प्राप्त होने पर लाभार्थी स्वामी के खातों पर रोक लगाने/रोक हटाने का अधिकार होगा।

The DP or the Depository shall have the right to freeze/defreeze the accounts of the Beneficial Owners on receipt of instructions received from any regulator or court or any statutory authority.

निवेशक शिकायतों का निवारण / Redressal of Investor grievance

24. डीपी शिकायत की प्राप्ति की तारीख से तीस दिनों की अवधि के अंदर लाभार्थी स्वामी की डीपी के विरुद्ध किए गए सभी शिकायतों का निवारण करेंगे।

The DP shall redress all grievances of the Beneficial Owner against the DP within a period of thirty days from the date of receipt of the complaint.

प्राधिकृत प्रतिनिधि / Authorized representative

25. यदि लाभार्थी स्वामी कॉर्पोरेट निकाय या विधिक निकाय है, तब वह खाता खोलने के फॉर्म के साथ-साथ, इनके द्वारा अधिकृत उन अधिकारियों की सूची डीपी को प्रस्तुत करेंगे जो प्रतिभागी के साथ इनकी ओर से प्रतिनिधित्व और संपर्क करेंगे। उसके बाद ऐसी सूची में जोड़, घटाव या बदलाव सहित किसी परिवर्तन की सूचना सहभागी को दी जाएगी।

If the Beneficial Owner is a body corporate or a legal entity, it shall, along with the account opening form, furnish to the DP, a list of officials authorized by it, who shall represent and interact on its behalf with the Participant. Any change in such list including additions, deletions or alterations thereto shall be forthwith communicated to the Participant.

विधि और क्षेत्राधिकारिता / Law and Jurisdiction

26. इस दस्तावेज़ में निर्दिष्ट विशेष अधिकारों के अतिरिक्त डीपी और लाभार्थी स्वामी उन सभी अन्य अधिकारों के प्रयोग के हकदार होंगे जो संबंधित डिपॉजिटरी के नियमों, उप-विधियों और विनियमनों के अधीन हैं जिसमें डीमैट खाते खोले गए हैं या सेवा के नियमों और विनियमों के अंतर्गत उन्हें प्राप्त हैं जिनके अधीन परिवर्तन/ नोटिस जारी किए गए हैं।

In addition to the specified rights set out in this document, the DP and the Beneficial owner shall be entitled to exercise any other rights which the DP or the Beneficial Owner may have under the Rules, Bye Laws and Regulations of the respective Depository in which the demat account is opened and circulars/notices issued there under or Rules and Regulations of SEBI.

27. इस दस्तावेज़ के प्रावधान हमेशा सरकारी अधिसूचना, सेवा जारी किसी नियम, विनियम, दिशानिर्देश और परिपत्रों/ नोटिसों और संबंधित डिपॉजिटरी जहां लाभार्थी स्वामी अपना खाता संचालित करते हैं, के समय-समय पर लागू नियमों, विनियमों और उपविधियों से आबद्ध होंगे।

The provisions of this document shall always be subject to Government notification, any rules, regulations, guidelines and circulars/notices issued by SEBI and Rules, Regulations and Bye-laws of the relevant Depository, where the Beneficial Owner maintains his/her account, that may be in force from time to time.

28. लाभार्थी स्वामी और डीपी डिपॉजिटरी की उपविधि के अधीन निर्धारित विवाचन और सुलह की प्रक्रिया से आबद्ध होंगे और ऐसी प्रक्रिया डीपी और लाभार्थी स्वामी के बीच किसी भी विवाद पर लागू होंगे।

The Beneficial Owner and the DP shall abide by the arbitration and conciliation procedure prescribed under the Bye-laws of the depository and that such procedure shall be applicable to any disputes between the DP and the Beneficial Owner.

29. इस दस्तावेज़ में प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियाँ लेकिन जो यहाँ परिभाषित नहीं हैं, वे जब तक संदर्भ अन्यथा अपेक्षित न हो, वही अर्थ लगाया जाए जो डिपॉजिटरी और/या सेवा के अधीन जारी नियमों, उपविधियों, और विनियमों और परिपत्रों/नोटिसों में निर्धारित किए गए हैं।

Words and expressions which are used in this document but which are not defined herein shall unless the context otherwise requires, have the same meanings as assigned thereto in the Rules, Bye-laws and Regulations and circulars/notices issued there under by the depository and/or SEBI

30. सेवा/ डिपॉजिटरी द्वारा निर्धारित अधिकार और सीमाओं में कोई परिवर्तन ग्राहक की जानकारी में तत्काल लाया जाए।

Any changes in the rights and obligations which are specified by SEBI/Depositories shall also be brought to the notice of the clients at once.

31. सेवा के नियमों और विनियमों में बदलाव के कारण यदि पार्टियों के अधिकार और सीमाओं में परिवर्तन होता होता है तो ऐसे परिवर्तनों में इस दस्तावेज़ में उल्लिखित पार्टियों के अधिकारों और सीमाओं के परिवर्तनों में शामिल किया जाना अपेक्षित है।

If the rights and obligations of the parties hereto are altered by virtue of change in Rules and regulations of SEBI or Bye-laws, Rules and Regulations of the relevant Depository, where the Beneficial Owner maintains his/her account, such changes shall be deemed to have been incorporated herein in modification of the rights and obligations of the parties mentioned in this document.

खाता प्रभारी पहले धारक के हस्ताक्षर

Signature of 1st holder in charge A/c

दूसरे धारक के हस्ताक्षर

Signature of 2nd holder

तीसरे धारक के हस्ताक्षर

Signature of 3rd holder



आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय: आईडीबीआई टॉवर, डब्ल्यूटीसी कॉम्प्लेक्स, कफ़ परेड, मुंबई- 400 005.

IDBI Bank Limited, Regd. Office: IDBI Tower, WTC Complex, Cuffe Parade, Mumbai – 400 005.

टोल फ्री नंबर /Toll Free Numbers : 1800-209-4324 / 1800-22-1070 , गैर टोल फ्री नं./ Non-Toll Free Number: 022-67719100.

विज़िट करें / Visit us: www.idbibank.in



अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) आवेदन पत्र/ KNOW YOUR CLIENT (KYC) APPLICATION FORM (वैयक्तिक के लिए / For Individuals)

आईडीबीआई बैंक लिमिटेड, सरजू हाउस, तीसरी मंजिल, प्लॉट नं. 90, एमआईडीसी, अंधेरी (पूर्व), मुंबई - 400 093 / IDBI Bank Limited, Sarju House, 3rd Floor, Plot No 90, MIDC, Andheri (East), Mumbai - 400 093

डीपी आईडी / DP ID - /आईएन/ IN300450

कृपया फॉर्म को अंग्रेजी में और स्पष्ट शब्दों में भरें/ Please fill this form in ENGLISH and in BLOCK LETTERS

ए/आ- पहचान का विवरण/IDENTITY DETAILS

1. आवेदक का नाम/ Name of the Applicant:										
2. पिता/पति का नाम /Father's/Husband's Name										
3. ए/आ लिंग/ Gender	<input type="checkbox"/> पुरुष/Male	<input type="checkbox"/> महिला/Female	बी/बी वैवाहिक स्थिति/ Marital status	<input type="checkbox"/> एकल/Single	<input type="checkbox"/> शादी शुदा/Married	सी/सी जन्म तारीख/ Date of Birth				
4. ए/आ राष्ट्रीयता/Nationality	<input type="checkbox"/> भारतीय/Indian	<input type="checkbox"/> अन्य Other (कृपया उल्लेख करें/Please specify)								
बी/बी स्थिति/Status	<input type="checkbox"/> निवासी वैयक्तिक/Resident Individual	<input type="checkbox"/> अनिवासी/Non Resident	<input type="checkbox"/> विदेशी/Foreign National							
5. ए/आ पैन/ PAN					बी/बी आधार संख्या, यदि कोई हो/Aadhaar Number, if any					
6. जमा किए गए पहचान के प्रमाण का उल्लेख करें/ Specify the proof of identity submitted	<input type="checkbox"/> पैन कार्ड/PAN card	<input type="checkbox"/> कोई अन्य (कृपया उल्लेख करें)/Any other (Please specify)								

फोटो/ Photograph
कृपया हाल की पासपोर्ट आकार का फोटो लगाएँ और उसके आर-पार हस्ताक्षर करें /Please affix the recent passport size photograph and sign across it

बी/बी- पता विवरण/ADDRESS DETAILS

<input type="checkbox"/> आवासीय पता/Residence Address	<input type="checkbox"/> पत्राचार का पता/Correspondence Address										
1. आवासीय/पत्राचार का पता/Residence/ Correspondence Address:											
शहर/City/कस्बा/town/ग्राम/village									पिन कोड/PIN Code:		
राज्य/ State					देश/ Country						
2. आवासीय/ पत्राचार के पते के लिए जमा किए गए पता प्रमाण का विवरण / Specify the proof of address submitted for Residence / Correspondence address:											
3. संपर्क विवरण/ Contact Details:											
टेली.(का.)/Tel.(Off.)					टेली (घर)/ Tel.(Res.)						
फैक्स नं./Fax No.					मोबाइल नं./Mobile No.						
ईमेल आईडी/Email ID											
4. स्थायी पता/Permanent Address: (यदि उपर्युक्त से अलग हो/If different from above./अनिवासी आवेदक अनिवार्य रूपसे विदेशी पता का उल्लेख करें/Mandatory for Non-Resident Applicant to specify overseas address)											
शहर/City/कस्बा/town/ग्राम/village									पिन कोड/PIN Code:		
राज्य/ State					देश/ Country						

सी/सी-घोषणापत्र/DECLARATION

एतद्वारा मैं/ हम यह घोषणा करता/ करती हूँ/ करते हैं कि उपर्युक्त विवरण मेरी/ हमारी जानकारी और विश्वास में पूर्णतः सत्य और सही है तथा इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन होने पर तत्काल इसकी सूचना देने का वचन देता/देती हूँ/ देते हैं. यदि उपर्युक्त जानकारी गलत, असत्य, गुमराह करने वाली या गलत बयानी पाई जाती है, तो इसके लिए मैं/ हम उत्तरदाई ठहराए जा सकता/ सकती हूँ/ सकते हैं. I/We hereby declare that the details furnished above are true and correct to the best of my/our knowledge and belief and I/we undertake to inform you of any changes therein, immediately. In case any of the above information is found to be false or untrue or misleading or misrepresenting, I am/we are aware that I/we may be held liable for it.

प्राधिकृत हस्ताक्षरी(यों) का नाम एवं हस्ताक्षर/
Name & Signature of the Authorised Signatory(ies)

दिनांक /Date:

सिर्फ कार्यालय उपयोग के लिए /FOR OFFICE USE ONLY

क्र. सं. Sr.No.	विवरण/ Particulars
1	<input type="checkbox"/> मूल की जांच की गई और स्व-अनुप्रमाणित दस्तावेजों की प्रतियाँ प्राप्त की गईं/ Originals verified and Self-Attested Document copies received
2	व्यक्तिगत जांच (आईपीवी) के विवरण /In-Person-Verification (IPV) details
ए/आ	आईपीवी करने वाले व्यक्ति का नाम /Name of the person doing IPV: <input type="text"/>
बी/बी	पदनाम/ Designation: <input type="text"/>
सी/सी	संगठन का नाम/ Name of Organization: <input type="text"/>
डी/डी	हस्ताक्षर/ Signature: <input type="text"/> दिनांक /Date: <input type="text"/>
प्राधिकृत हस्ताक्षरी का नाम/ Name of the Authorised Signatory: <input type="text"/>	
प्राधिकृत हस्ताक्षरी के हस्ताक्षर/ Signature of the Authorised Signatory: <input type="text"/> दिनांक /Date: <input type="text"/>	
मध्यस्थ की मुहर/ स्टांप Seal/Stamp of the intermediary	

केवाईसी फॉर्म भरने के लिए अनुदेश/ जांच सूची/ INSTRUCTIONS/ CHECK LIST FOR FILLING KYC FORM

ए/आ महत्वपूर्ण बिंदु/ Important Points:

- सभी ग्राहकों, प्रवर्तकों/ साझेदारों/ कर्ता/ न्यायियों/ पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी/ फर्म/ अन्य की ओर से प्रतिभूतियों में सौदा करने के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के लिए पैन कार्ड की स्व-अनुमति प्रति अनिवार्य है।
Self-attested copy of PAN card is mandatory for all clients, including Promoters/Partners/Karta/Trustees and whole time directors and persons authorized to deal in securities on behalf of company/firm/others.
- आवेदक द्वारा जमा किए गए सभी दस्तावेजों की प्रतियाँ स्व-अनुमति प्राप्त होनी चाहिए और सत्यापन के लिए उसका मूल से मिलान किया जाना चाहिए। यदि किसी दस्तावेज की मूल प्रति सत्यापन के लिए प्रस्तुत नहीं की गई हो तो निम्नलिखित सूची के अनुसार दस्तावेजों को अनुमति प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत संस्थाओं द्वारा प्रतियों को उपयुक्त रूप से अनुमति प्रमाणित करना होगा।
Copies of all the documents submitted by the applicant should be self-attested and accompanied by originals for verification. In case the original of any document is not produced for verification, then the copies should be properly attested by entities authorized for attesting the documents, as per the below mentioned list.
- यदि पहचान या पते का प्रमाण विदेशी भाषा में है तो उसका अंग्रेजी अनुवाद आवश्यक होगा।
If any proof of identity or address is in a foreign language, then translation into English is required.
- केवाईसी फॉर्म पर उल्लिखित आवेदक का नाम और पता, प्रमाण के रूप में जमा किए गए दस्तावेज के समान होना चाहिए।
Name & address of the applicant mentioned on the KYC form, should match with the documentary proof submitted.
- एकल स्वामी, आवेदन को अपने वैयक्तिक नाम और क्षमता में ही तैयार करेगा।
Sole proprietor must make the application in his individual name & capacity.
- अनिवासी भारतीय और विदेशी नागरिकों के लिए (रिज़र्व बैंक और फेमा दिशानिर्देशों के अधीन व्यापार की अनुमति दी जाएगी) पासपोर्ट/ पीआईओ कार्ड/ ओसीआई कार्ड/ और विदेशी पता प्रमाण की प्रति अनिवार्य है।
For non-residents and foreign nationals, (allowed to trade subject to RBI and FEMA guidelines), copy of passport/PIO Card/OCI Card and overseas address proof is mandatory.
- विदेशी संस्थाओं के लिए सीआईएन वैकल्पिक है; और निदेशकों के लिए डीआईएन नं. नहीं रहने पर उनके पासपोर्ट की प्रति दी जानी चाहिए।
For foreign entities, CIN is optional; and in the absence of DIN no. for the directors, their passport copy should be given.
- मर्चेंट नौटिकी पैनआरआई के मामले में नाविक घोषणा या सीडीसी (सतत उन्मोचन प्रमाणपत्र) की सत्यापित प्रति जमा की जानी चाहिए।
In Case of Merchant Navy NRI's, Mariner's declaration or certified copy of CDC (Continuous Discharge Certificate) is to be submitted.
- अवयस्क के लिए निदेशागार सहभागी या म्यूचुअल फंड के साथ खाता खोलने के लिए उच्च माध्यमिक बोर्ड द्वारा जारी विद्यालय परित्याग प्रमाणपत्र/ अंक पत्र / अवयस्क का पासपोर्ट/ जन्म प्रमाणपत्र की फोटो प्रति अवश्य उपलब्ध कराई जाए।
For opening an account with Depository participant or Mutual Fund, for a minor, photocopy of the School Leaving Certificate/ Mark Sheet issued by higher Secondary Board/Passport of Minor/ Birth Certi card must be provided.
- राजनीति से जुड़े व्यक्तियों का तात्पर्य ऐसे व्यक्तियों से है जिन्हें विदेश में मुख्य सार्वजनिक कार्यभार सौंपा गया हो जैसे कि राज्यों या सरकारों के प्रमुख, वरिष्ठ राजनेता, वरिष्ठ सरकारी/ न्यायिक/ सेना के अधिकारी, राज्य के स्वामित्व वाले निगमों के वरिष्ठ कार्यपालक, महत्वपूर्ण राजनीतिक पार्टी के अधिकारी इत्यादि, Politically Exposed Persons(PEP) are defined as individuals who are or have been entrusted with prominent public functions in a foreign country, e.g., Head of States or of Governments, Senior Politicians, senior Government/Judicial/military officers, senior executives of state owned corporations, important political party officials, etc.
- डीमैट खाते के प्रत्येक धारक के लिए अलग-अलग केवाईसी भरा जाए।
Separate KYC to be filled up for each holders of Demat Account.

बी/B पहचान प्रमाण (पीओआई) /Proof of Identity (POI):

पहचान प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची/ List of documents admissible as Proof of identity:

- विशिष्ट पहचान संख्या {यूआईडी} (आधार)/ पासपोर्ट/ मतदाता पहचान कार्ड/ ड्राइविंग लाइसेंस
Unique identification Number {UID} (Aadhaar) / Passport / Voter ID Card / Driving License
- फोटो के साथ पैन कार्ड/ PAN card with photograph
- निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा जारी आवेदक के फोटो के साथ पहचान पत्र/ दस्तावेज : केंद्र/ राज्य सरकार और उसके विभाग, सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, सार्वजनिक वित्तीय संस्थान, विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज, पेसेवर निकाय जैसे कि आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, बार काउंसिल इत्यादि, उनके सदस्य; और बैंकों द्वारा जारी क्रेडिट कार्ड/ डेबिट कार्ड।
Identity card/ document with applicant's Photo, Issued by any of the following : Centrals / State Government and its Departments, Statutory/Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Colleges affiliated to Universities, Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, Bar Council etc., to their Members; and credit Cards/Debit Cards issued by Banks.

सी/C पते का प्रमाण (पीओए) /Proof of Address (POA) :

पते के प्रमाण के रूप में स्वीकार्य दस्तावेजों की सूची /List of documents admissible as Proof of Address:

- * समाप्ति तारीख वाले दस्तावेज जमा करने की तारीख पर वैध होने चाहिए/ Documents having an expiry date should be valid on the date of submission)
1. पासपोर्ट/ मतदाता पहचान पत्र/ राशन कार्ड/ पंजीकृत पट्टा या आवास विक्री करार/ ड्राइविंग लाइसेंस/ फ्लैट रख-रखाव बिल/ बीमा प्रति/
Passport/Voters Identity Card/ Ration Card/ Registered Lease or Sale Agreement of Residence/ Driving License/ Flat Maintenance bill/ Insurance Copy)
- उपयोगिता बिल जैसे कि टेलीफोन बिल (सिर्फ लैंड लाइन), बिजली बिल या गैस बिल – 3 महीने से अधिक पुराना नहीं।
Utility bills like Telephone Bill (only land line), Electricity bill or Gas bill- Not more than 3 months old.
- बैंक खाता विवरण/ पासबुक – 3 महीने से अधिक पुराना नहीं।
Bank Account Statement/Passbook – Not more than 3 months old.
- अपने खाते के संबंध में नया पता देते समय उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा स्वघोषणा।
Self-declaration by High Court and Supreme Court judges, giving the new address in respect of their own accounts.
- निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा जारी पते का प्रमाण : यदि अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ अनुसूचित सहकारी बैंक/ बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंक हो तो बैंक प्रबंधक/ राजपत्रित अधिकारी/ नोटरी पब्लिक/ विधानसभा/ लोकसभा के निर्वाचित प्रतिनिधि/ किसी सरकारी या सांविधिक प्राधिकरण द्वारा जारी दस्तावेज।
Proof of address issued by any if the following: Bank Managers if Scheduled Commercial Banks/Scheduled Co-operative Bank/Multinational Foreign Banks/Gazette Officer/Notary Public/Elected representatives to the Legislative Assembly/ Parliament/Documents issued by any Govt. or Statutory Authority.
- निम्नलिखित में से किसी एक के द्वारा उसके सदस्यों को जारी पते के साथ पहचान पत्र/ दस्तावेज : केंद्र/ राज्य सरकार और उनके विभाग, सांविधिक/ विनियामक प्राधिकरण, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/ अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक/ सार्वजनिक वित्तीय संस्थान/ विश्वविद्यालयों से संबद्ध कॉलेज और पेसेवर निकाय अर्थात् आईसीएआई, आईसीडब्ल्यूआई, आईसीएसआई, बार काउंसिल इत्यादि, उनके सदस्य।
Identity card/ document with address, issued by any of the following: Central/State Government and its Departments, Statutory /Regulatory Authorities, Public Sector Undertakings, Scheduled Commercial Banks, Public Financial Institutions, Colleges affiliated to Universities and Professional Bodies such as ICAI, ICWAI, ICSI, Bar Council etc., to their Members.
- एफआईआई/ उप खाता के लिए एफआईआई/ उप खाता द्वारा अभिषेक को दिया गया मुस्तानामा (जो विधिवत नोटरीकृत और/ या टिप्पणीकृत या वाणिज्यिक हो) जिसमें पंजीकृत पते की सूचना हो, ली जानी चाहिए।
For FIU/sub account, Power of Attorney given by FIU/sub-account to the Custodians (which are duly notarized and/or apostilled or consularised) that gives the registered address should be taken.
- पति-पत्नी के नाम पर पते का प्रमाण स्वीकार किया जाए।
The proof of address in the name of the spouse may be accepted.

डी/D पैन में छूट/ स्पष्टीकरण/Exemptions / Clarification to PAN

(* इस प्रकार के दावों के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्राप्त किए जाएं/ Sufficient documentary evidence in support of such claims to be collected.)

- केंद्र सरकार और/ या राज्य सरकार और न्यायालय द्वारा नियुक्त अधिकारी अर्थात् शासकीय परिसमापक, न्यायालय रिसेवर इत्यादि की ओर से लेनेदों के मामले में।
In case of transactions undertaken on behalf of Central Government and/or State Government and by officials appointed by Courts e.g. Official liquidator, Court receiver etc.
- सिक्किम राज्य में निवास करने वाले निवेशक/ Investors residing in the state of Sikkim.
- सूचना संस्थाएं/ बहुपक्षीय एजेंसियां जिन्हें भारत में कर भुगतान/ कर रिटर्न भरने से छूट प्राप्त है।
UN entities/multilateral agencies exempt from paying taxes/ ling tax returns in India.
- संस्थागत ग्राहकों के मामले में मुख्यतः एफआईआई, एमएफ, बीसीएफ, एफजीआईआई, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक, बहुपक्षीय और द्विपक्षीय विकास वित्तीय संस्थान, राज्य औद्योगिक विकास निगम, कंपनी अधिनियम 1956 की धारा 4ए के तहत परिभाषित आईआईए और सार्वजनिक वित्तीय संस्थान के साथ पंजीकृत बीमा कंपनियों, अभिषेक पैन कार्ड के विवरणों को मूल पैन कार्ड से सत्यापित करेंगे और मध्यस्थ को उक्त सत्यापन पैन कार्ड के विवरणों की विधिवत सत्यापित प्रतियां उपलब्ध कराएंगे।
In case of institutional clients, namely, FIIs, MFs, VCFs, FVCIs, Scheduled Commercial Banks, Multilateral and Bilateral Development Financial Institutions, State Industrial Development Corporations, Insurance Companies registered with IRDA and Public Financial Institution as de ned under section 4A of the Companies Act, 1956, Custodians shall verify the PAN card details with the original PAN card and provide duly certified copies of such verified PAN details to the intermediary.
- सहभागी अपने ग्राहक से मूल पैन कार्ड की मांग किए बिना पैन का सत्यापन आयकर वेबसाइट से ऑनलाइन कर सकते हैं, बशर्ते कि ग्राहक ने पैन कार्ड के अलावा पहचान के प्रमाण के लिए एक अन्य दस्तावेज दिया हो।
Participants may verify the Pan of their clients online at the Income Tax website without insisting on the original PAN card, provided that the Client has presented a document for Proof of Identity other than the PAN card.

ई/E दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों की सूची / List of People Authorized To Attest the Documents:

- नोटरी पब्लिक, राजपत्रित अधिकारी, अनुसूचित वाणिज्यिक/ सहकारी बैंक या बहुराष्ट्रीय विदेशी बैंकों के प्रबंधक (प्रति पर नाम, पदनाम) की मूहर लगी होनी चाहिए।
Notary Public, Gazetted Officer, Manager of a Scheduled Commercial/ Co-operative Bank or Multinational Foreign Banks (Name, Designation* Seal should be affixed of the copy.)
- पैनआरआई के मामले में भारत में पंजीकृत अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों की विदेशी शाखाएं जो प्राधिकृत हैं, जिस देश में ग्राहक निवास करते हैं उस देश के नोटरी पब्लिक, न्यायालय मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश, भारतीय दूतावास/महावाणिज्य दूतावास दस्तावेजों का सत्यापन कर सकते हैं।
In case of NRIs, authorized of overseas branches of Scheduled Commercial Banks registered in India, Notary Public, Court Magistrate, Judge, Indian Embassy/Consulate General in the country where the client resides are permitted to attest the documents.